# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), श्रीकरणपुर

**पीठासीन अधिकारी : श्री मूलचन्द लूणिया** {आर.ए.एस.}
**प्रकरण संख्या : 82/2019**

1. सुखमन्द्र सिंह पुत्र इन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी चक 2 एम एम धरिगावाली तहसील श्री करणपुर ।

--वादी--

**बनाम**

राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार श्री करणपुर।

--प्रतिवादी--

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए, 125, 136 एलआरएक्ट**

**--निर्णय-- दिनांक : 23.12.2019**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 2 एम एम की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 77 के खाता संख्या 170 के मु.न. 6,8,17,142/56 में मन्दर सिंह के नाम 231/1619 हिस्सा भूमि व इसी चक के खाता संख्या 28 के मु.न. 19, 142/17, 142/19 में मन्दर सिंह के नाम 9/253 हिस्सा व इसी चक के खाता संख्या 55 के मु. न. 48,71,142/12 में मन्दर सिंह के नाम 91/2277 हिस्सा का सहखातेदार है। उक्त तीनो जमाबन्दीयों में वादी का नाम मन्दर सिंह पुत्र इन्द्र सिंह दर्ज है। परन्तु प्रार्थी का वास्तविक नाम सुखमन्दर सिंह है। प्रार्थी के पहचान सम्बन्धी दस्तावेज यथा मूल निवास, चक 2 एम एम में आवासीय भूमि का पट्टा, विद्यालय का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, बिजली का बिल में वादी का नाम सुखमन्दर सिंह अंकित है। वादी के नाम के सम्बन्ध में सरपंच ग्राम पंचायत धरिगावाली 2 एम एम के द्वारा जारी प्रमाण पत्र में भी वादी का नाम सुखमन्द्र सिंह उर्फ मन्दर सिंह अंकित किया गया है। राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम मन्दर सिंह है। जिस कारण प्रार्थी को बैंक में लोन लेने में व अन्य रोजमर्रा के कार्यो में बांधा पडती है। वादी ने कई बार पटवारी हलका व तहसीलदार से उक्त जमाबन्दियों में नाम दुरूस्त करने की प्रार्थना की परन्तु अभी तक प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त नही किया गया है। यही विनाय दावा व विनाय मुखास्मत है। वाद पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावेः-

कि चक 2 एम एम की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 170/170 व खाता संख्या 28/28 व खाता संख्या 55/55 में वादी का नाम मन्दर सिंह के स्थान पर सुखमन्दर सिंह दर्ज किए जाने के आदेश फरमावे। अन्य कोई अनुतोष हो तो वादी को दिलाय जावे।

वाद पत्र पेश होन पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। राजपैरोकार द्वारा जवाब स्टेट पेश किया गया।

बहस सुनी गई प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस में वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए, वाद पत्र स्वीकार हेतु निवेदन किया।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। चक 2 एम एम की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 170/170 व खाता संख्या 28/28 व खाता संख्या 55/55 में वादी का नाम मन्दर सिंह के स्थान पर सुखमन्दर सिंह दर्ज किए जाने के बाबत

निवेदन किया है। प्रार्थी के पहचान सम्बन्धी दस्तावेज यथा यथा मूल निवास, चक 2 एम एम में आवासीय भूमि का पट्टा, विद्यालय का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, बिजली का बिल वादी का नाम सुखमन्दर सिंह अंकित है। वादी के नाम के सम्बन्ध में सरपंच ग्राम पंचायत धरिगावाली 2 एम एम के द्वारा जारी प्रमाण पत्र में भी वादी का नाम सुखमन्दर सिंह उर्फ मन्दर सिंह अंकित किया गया है। जमाबन्दी में नाम मन्दर सिह अंकित है। वादी का वादपत्र स्वीकार योग्य है।

उपरोक्त तथ्यो के विवेचन एवं पत्रावली में साक्ष्य सबूत के आधार पर वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर चक 2 एम एम की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 170/170 व खाता संख्या 28/28 व खाता संख्या 55/55 में वादी का नाम मन्दर सिंह के स्थान पर सुखमन्दर सिंह उर्फ मन्दर सिंह पुत्र इन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 2 एम एम धरिगांवाली दर्ज किए जाने किए जाने के आदेश दिए जाते है। इन तीनो खातो के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री इस आश्य का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्री करणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 23.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

{ **मूलचन्द लूणिया** आर.ए.एस.}
उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर



Signature Not Verified
Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2019.12.23 15:02:48 IST
Reason: SelfAttested
Location: